झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

अधिसूचना

आदेश संख्याः– 01/क्षे०रा०–04/2021../रांची, दिनांक–..

उपायुक्त, पलामू का पत्रांक– 424, दिनांक–22.04.2022 द्वारा श्री सुभाष कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू (अतिरिक्त प्रभार जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा), सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये आरोप–पत्र में उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू द्वारा अनुसंधान के दौरान धावादल के सदस्यों के द्वारा दिनांक–06.08.2021 को रू० 20,000/–(बीस हजार) घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। श्री कुमार का कार्य पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता हैं, जो झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(i),(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

2. अतः श्री सुभाष कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू (अतिरिक्त प्रभार जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा), सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 9 (1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3 निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उपनिदेशक कल्याण का कार्यालय, कोल्हान प्रमण्डल, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा निर्धारित किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर इन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान इनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय–जिला कल्याण कार्यालय, पलामू से देय होगा।

5. निलम्बन प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इनके विरूद्ध अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(नेसार अहमद)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– 01/क्षे०रा०–04/2021 राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अगले ई–गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त की 10 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– 01/क्षे०रा०–04/2021 –1594 राँची, दिनांक– 03/06/2022

प्रतिलिपिः– विभागीय माननीय मंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु०ज०जा०, अनु०जा०, अल्प० एवं पि०व० कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, पलामू/उपायुक्त, गढ़वा/उप निदेशक कल्याण, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर एवं कोल्हान प्रमण्डल, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/जिला कोषागार पदाधिकारी, पलामू/ जिला कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ विशेष सचिव, प्रशाखा –6 (आन्तरिक निगरानी शाखा), अनु०ज०जा०, अनु०जा०, अल्प० एवं पि०व० कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ उप सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा कोषांग), झारखण्ड, राँची/ श्री सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में (अनु०ज०जा०, अनु०जा०, अल्प० एवं पि०व० कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/22
सरकार के विशेष सचिव।

D:\Ru\Letter\Order.Docx